

कार्यालय सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड द्वितीय, लसाड़िया

क्रमांक: SP-01

दिनांक: 02.05.2023

सेवामें,

श्रीमान् उप वन संरक्षक,
प्रतापगढ़ (राज.)

विषय:— **Diversion of 17.1315 Hect. forest land in favour of PUBLIC WORKS DEPARTMENT RAJASTHAN for “Construction of Road Widening & Strengthening of Lasadiya to Dhariyawad Road (ODR-20) KM 00 to 30km” Proposal No. FP/RJ/ROAD/35989/2018 के सम्बन्ध में।**

संदर्भ:— पत्र क्रमांक: एफ () उवसं/तकनीकी/2020-21/269 दिनांक 13.01.2021
महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत सदरित पत्र के क्रम में लेख है कि विभाग द्वारा ऑन लाईन प्रेषित प्रस्ताव **Diversion of 17.1315 Hect. forest land in favour of PUBLIC WORKS DEPARTMENT RAJASTHAN for “Construction of Road Widening & Strengthening of Lasadiya to Dhariyawad Road (ODR-20) KM 00 to 30km” Proposal No. FP/RJ/ROAD/35989/2018** का परीक्षण करने के उपरान्त लगाये गये आक्षेपों की पूर्ति निम्नानुसार की जाकर प्रस्ताव आवश्यक कार्यवाही हेतु पुनः प्रस्तुत है:—

क्र. सं.	आक्षेप	जवाब
1.	प्रस्ताव के साथ आपके द्वारा ग्राम भोजपुर एवं भीमागांव तहसील धरियावद का मानचित्र संलग्न नहीं किया गया है जिसे संलग्न किया जावे।	ग्राम भोजपुर एवं भीमागांव तहसील धरियावद का मानचित्र संलग्न कर दिया गया है।
2.	आपके द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराई गई गैर वन भूमि प्रस्ताव के क्षेत्रफल 17.1315 है. नहीं है। आपके द्वारा केवल 11.473 है. भूमि जिला उदयपुर के अलग अलग गांवों में उपलब्ध कराई गई है जो वानिकी दृष्टिकोण से वृक्षारोपण कराने हेतु उचित प्रतीत नहीं होती है ना ही जिला कलक्टर-उदयपुर द्वारा आरक्षित की गई है। आप द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराई गई गैर वन भूमि को जी.टी. शीट एवं के.एम.एल. फाईल से अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि उक्त भूमि वन भूमि है।	आरक्षित करवा दी जायेगी अथवा प्रक्रियाधीन है।
3.	प्रस्ताव के साथ वनाधिकार अधिनियम के तहत जिला कलक्टर द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना होता है जो कि प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।	शपथ पत्र दे दिया गया है।
4.	प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि को उपलब्ध कराना आवश्यक है। इस हेतु आपको सुझाव दिया जा रहा है कि जिला-प्रतापगढ़ में तहसील-प्रतापगढ़ पटवार मंडल-नारायणखेड़ा के राजस्व ग्राम-आमलीखोरा, खीजनखेड़ा एवं ढिकनिया में बिलानाम की गैर वन भूमि उपलब्ध है। उक्त भूमि को जिला कलक्टर-प्रतापगढ़ के द्वारा वन विभाग को प्रस्ताव के अनुसार 17.1315 है. गैर वन भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आरक्षित करवाने के लिए आपके कार्यालय स्तर से आवश्यक कार्यवाही करावें।	प्रकीयाधीन है।
5.	आपके द्वारा बिन्दु संख्या 1 के अनुसार मानचित्र उपलब्ध होने के उपरांत की प्रत्यावर्तन प्रकरण में आ रही वन भूमि की गणना हो पाएगी।	हॉर्डकॉपी जमा करवादी गई है।
6.	बिन्दु संख्या 4 के क्रम में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्ताव अनुसार आवश्यक गैर वन भूमि के आवंटन हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 668-70 दिनांक 06.02.2019 से जिला कलक्टर प्रतापगढ़ एवं उदयपुर को अवगत कराया गया है।	प्रक्रिया करवा दी गई है।

भवदीय


R.S. MEENA
Assistant Engineer
सहायक अभियंता
सा.नि.वि. उपखण्ड लसाड़िया